TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF THE INDIA: EXTRAORDINARY

[Part II, Section 3, sub-section (ii)]

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

New Delhi, the 17th January, 2018

NOTIFICATION

Subject: Extension in date for mandating IS 16333 (Part 3): 2016 – Indian Language Support for Mobile Phones

Whereas Government of India, has issued the Order for mandating Indian Language Support for Mobile Phones as per IS 16333 (Part 3):2016, and whereas mobile handset manufactures have raised concerns with regard to compliance to the Order due to delay in the publication of IS 16333 (Part 3):2017, and whereas to address these issues and to facilitate the industry for smooth implementation of the Order, the following notification is issued in continuation of the Order.

Extension in date:

The date of coming into effect of the aforesaid Order stands extended to 23rd February, 2018.

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O number 2357(E), dated 3rd October, 2012 and subsequently amended vide S.O. 2034(E) dated 5th July, 2013, S.O. 3022 (E) dated 4th October, 2013, S.O. 2905(E) dated 13th November, 2014, S.O. 345 (E) dated 3rd February, 2016, S.O 638(E) dated 10th February, 2016, S.O. 3509(E) dated 24th October, 2016 and 8 (81)2015-IPHW dated 29th September 2017.

(Sanjay Kumar Rakesh) Joint Secretary

F. No. 8 (81)2015-IPHW

भारत का राजपत्र, असाधारण में प्रकाशनार्थ [भाग-॥, खंड3, उप खण्ड (ii)] इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2017

अधिसूचना

विषय: आईएस 16333 (भाग 3): 2016 मोबाइल फोन के लिए भारतीय भाषा सहयोग अनिवार्य करने के लिए तारीख में विस्तार

जबिक भारत सरकार ने, आईएस 16333 (भाग 3): 2016 के अनुसार मोबाइल फोन के लिए भारतीय भाषा सहयोग अनिवार्य करने के लिए आदेश जारी किया है, और जबिक आईएस 16333 (भाग 3): 2017 के प्रकाशन में विलंब के कारण मोबाइल हैंडसेट निर्माताओं ने आदेश के अनुपालन के संबंध में चिंताएं व्यक्त की हैं, और जबिक इन मुद्दों का समाधान करने और आदेश के निर्विध्न कार्यान्वयन के लिए उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए आदेश की निरंतरता क्रम में निम्नलिखित अधिसूचना जारी की जाती है।

2. तारीख बढ़ाया जाना।

उपर्युक्त आदेश के लागू बने रहने की तारीख 23 फरवरी, 2018 तक बढ़ा दी गई है।

नोट: प्रधान आदेश को भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 के का.आ. संख्या 2357(ई) के जिए प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसमें दिनांक 5 जुलाई, 2013 के का.आ. 2034 (ई), दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 का.आ. 3022 (ई), 13 नवम्बर, 2014 के का.आ. 2905 (ई), दिनांक 3 फरवरी, 2016 के का.आ. 345 (ई), दिनांक 10 फरवरी, 2016 के का.आ. 638 (ई), दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 के का. आ. 3509 (ई) और दिनांक 29 सितम्बर, 2017 के का. आ. 8(81)2015 आईपीएचडब्ल्यू के द्वारा संशोधन किया गया था।

17.01.18

(संजय कुमार राकेश)

सयुक्त साचव फा. सं. 8(81)/2015-आईपीएचडब्ल्यू